

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

मुकदमा रूपलाल विपक्षी रामलाल
हराज पत्रावली संख्या 40/18 सन् _____

क	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p><u>08/10/20</u> पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/ प्रतिवादी/विपक्षी/रैस्यो उपस्थित/पीठारसैन अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक <u>07/10/21</u> को पेश हो।</p> <p><u>21/1/21</u> पत्रावली पेश की अधिवक्ता उक्त पत्रावली (प) अ. 6, 7, 8, 9-8 लक्षण को ही पेश की लक्षण पेश की जा रही है। पत्रावली दिनांक 22/4/21 को पेश की</p> <p><u>22/4/21</u> पत्रावली आज पेश हुई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बार एसोसिएशन द्वारा अतिआवश्यक प्रकृति के पत्रावली में ही सुनवाई करने के प्रार्थना पत्र देने के के कारण आज इस पत्रावली में सुनवाई नहीं हो सकी। अतः पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक <u>28/7/21</u> को पेश हो।</p> <p><u>29/7/21</u> पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/ प्रतिवादी/विपक्षी/रैस्यो उपस्थित/पीठारसैन अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक <u>2/12/21</u> को पेश हो।</p> <p><u>02/11/21</u> पत्रावली तैयार की गई। 'प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021' आयोजित किया जाने से पत्रावली में अधिवक्ता पक्षकारान को सूचित किया जाकर पत्रावली कैम्प-<u>रूपलाल</u> दिनांक <u>20/11/21</u> को पेश हो।</p>	

सहायक कलक्टर एवं
 कार्यपालक मजिस्ट्रेट
 (मिस्ट्रैट प्रेक) मावली



26/12/21

ने फेर। हुई
के मध्य रात्री-
प्रकरण
नामा नहीं है। पत्रावली
पूर्व आदेश की पालना में न्यायालय
हाजा में दिनांक-17/02/22 को
पेश हों।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) मावली

17/2/22

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/
प्रतिवादी/विपक्षी/रेस्पों उपस्थित/पीठासीन
अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग
में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में
दिनांक-12/5/22 को पेश हो।

12/5/22

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/
प्रतिवादी/विपक्षी/रेस्पों उपस्थित/पीठासीन
अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग
में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में
दिनांक-1/9/22 को पेश हो।

01/9/22

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी मय वादी
को आवजे दिलवाई गई, अनुपस्थित हैं। अतः
अनुपस्थित रहने पर एकरण अदम हाजरी अदम
पेन्वी में खारीज किया जाता है। पत्रावली फंसल
कुमार डेकर नम्बर से कम है।

निर्णय सुले न्यायालय पुनाया गया।



सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) मावली